न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0नं0 – 108/21 (2021/185)

मनीषकुमार पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. कौशल्या पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. सुदेशरानी पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. पुष्पा पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
5. कविता पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री रामचन्द्र सिंवर **: प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 25/8/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के वर्तमान खाता सं0 122/117 के मु0नं0 74 के किला नं0 22, मु0नं0 95 के किला नं0 1 ता 4, कुल किता 5 की 1.265 है0 बारानीखातेदारी में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एसडीआर के खाता सं0 86/17 के मु0नं0 55 के किला नं0 3 ता 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 मु0नं0 56 के किला नं0 2 व 3 कुल किता 14 की 3.542 है0 में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 136/134 के मु0नं0 19 के किला नं0 2 ता 4, 7 ता 9, 11 ता 13, 19 ता 22 कुल किता 13 की 3.289 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 84/81 के मु0नं0 33 के किला नं0 13, 14/1, 17/1, 18, 23, 24 कुल किता 6 की 1.265 है0 नहरी बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा कनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। इस प्रकार वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार है।

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी सीताराम के नाम दर्ज है, उसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया तथा अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया एवं प्रतिवादी सीताराम के हिस्सा में संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खरीद की गई खातेदारी कृषि भूमि जो चक 15 एएमएस के खाता सं0 53/50 में स्थित 4.048 है0 में 40 हिस्सा व चक 15 एएमएस के ही खाता सं0 93/89 में स्थित 3.036 है0 में 1/12 हिस्सा व चक 1 एसडीआर के खाता सं0 78/70 में स्थित 4.568

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

है0 में 1/24 हिस्सा व चक 6 बारानी के खाता सं0 77/72 में स्थित 6.578 है0 में 1/24 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी सीताराम के नाम से है, वह सीताराम के हिस्सा में आ गई तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादी की एवं प्रतिवादी सीताराम के नाम से संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई खातेदारी पर प्रतिवादी सीताराम की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सीताराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी मनीषकुमार पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 122/117 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 2 एसडीआर के खाता सं0 86/17 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपिजमाबन्दी चक 16 एएमएस खाता सं0 136/134 सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श 3, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 17 एएमएस खाता सं0 84/81 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 20/15 सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 5, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 2 एसडीआर के खाता सं0 17/12 सम्वत् 2067 से 70 प्रदर्श 6, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 16 एएमएस के खाता सं0 17/16 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 7, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 17 एएमएस के खाता सं0 23/16 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 8, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 15 एएमएस खाता सं0 53/50, 93/89 सम्वत् 2076 से 79 प्रदर्श 9, 10, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 एसडीआर के खाता सं0 78/70 सम्वत् 2074 से 2077 प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा कनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार है। वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी सीताराम के नाम दर्ज है, उसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया तथा अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया एवं प्रतिवादी सीताराम के हिस्सा में संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खरीद की गई खातेदारी कृषि भूमि जो चक 15 एएमएस के खाता सं0 53/50 में स्थित 4.048 है0 में 40 हिस्सा व चक 15 एएमएस के ही खाता सं0 93/89 में स्थित 3.036 है0 में 1/12 हिस्सा व चक 1 एसडीआर के खाता सं0 78/70 में स्थित 4.568 है0 में 1/24 हिस्सा व चक 6 बारानी के खाता सं0 77/72 में स्थित 6.578 है0 में 1/24 हिस्साभूमि जो प्रतिवादी सीताराम के नाम से दर्ज है, वह सीताराम के हिस्सा में आ गई। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत दावा वादी ने चक 6 बारानी, चक 2 एसडीआर, चक 16 एएमएस, चक 17 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है किवादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा कनीराम की खातेदारी हुआ करती थी जिसकी पुष्टि में वादी ने चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 20/15 सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 5, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 2 एसडीआर के खाता सं0 17/12 सम्वत् 2067 से 70 प्रदर्श 6, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 16 एएमएस के खाता सं0 17/16 सम्वत् 2066 से 69

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रदर्श 7, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 17 एएमएस के खाता सं0 23/16 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा कनीराम वल्द परसाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत शपथ पत्र में सीताराम के वारिसान में एक पुत्र मनीषकुमार एवं चार पुत्रियां कौशल्या, सुदेशरानी, पुष्पा व कविता होना एवं इनके अलावा अन्य कोई पुत्र/पुत्री नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के वर्तमान खाता सं0 122/117 के मु0नं0 74 के किला नं0 22, मु0नं0 95 के किला नं0 1 ता 4, कुल किता 5 की 1.265 है0 बारानीखातेदारी में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एसडीआर के खाता सं0 86/17 के मु0नं0 55 के किला नं0 3 ता 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 मु0नं0 56 के किला नं0 2 व 3 कुल किता 14 की 3.542 है0 में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 136/134 के मु0नं0 19 के किला नं0 2 ता 4, 7 ता 9, 11 ता 13, 19 ता 22 कुल किता 13 की 3.289 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 84/81 के मु0नं0 33 के किला नं0 13, 14/1, 17/1, 18, 23, 24 कुल किता 6 की 1.265 है0 नहरी बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सीताराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 सीताराम के बजाय तन्हा वादी मनीषकुमार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 का नाम वादकृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से कमलजन किया जाकर उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा चक 15 एएमएस के खाता सं0 53/50 में स्थित 4.048 है0 में 40 हिस्सा व चक 15 एएमएस के ही खाता सं0 93/89 में स्थित 3.036 है0 में 1/12 हिस्सा व चक 1 एसडीआर के खाता सं0 78/70 में स्थित 4.568 है0 में 1/24 हिस्सा व चक 6 बारानी के खाता सं0 77/72 में स्थित 6.578 है0 में 1/24 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी सीताराम के नाम दर्ज है वह यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/8/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुन्तला R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़